

पांचवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 244 (1)]

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध

भाग क

साधारण

1. निर्वचन--इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” पद के अंतर्गत ^{1***}
²[असम ³[⁴मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम]] राज्य नहीं है ।

2. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति--इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है ।

3. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल ^{5***} द्वारा प्रतिवेदन--ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ^{5***}, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा ।

भाग ख

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

4. जनजाति सलाहकार परिषद्--(1) ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी, जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे :

परंतु यदि उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे ।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल⁶ द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) राज्यपाल ^{5***}--

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या को, उनकी नियुक्ति की और परिषद् के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को ;

(ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को, और

(ग) अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को,

यथास्थिति, विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा ।

¹ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है परंतु” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।

² पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) “असम राज्य” स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 द्वारा (1-4-1985 से) “और मेघालय” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) “मेघालय और त्रिपुरा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राज्यप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।

⁶ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यथास्थिति, राज्यपाल या राज्यप्रमुख” शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप में रखा गया ।

FIFTH SCHEDULE

[Article 244(1)]

Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes

PART A

GENERAL

1. Interpretation.—In this Schedule, unless the context otherwise requires, the expression “State”¹*** does not include the ²[States of Assam ³[⁴[Meghalaya, Tripura and Mizoram]]].

2. Executive power of a State in Scheduled Areas.—Subject to the provision of this Schedule, the executive power of a State extends to the Scheduled Areas therein.

2. Report by the Governor ⁵* to the President regarding the administration of Scheduled Areas.**—The Governor ⁵*** of each State having Scheduled Areas therein shall annually, or whenever so required by the President, make a report to the President regarding the administration of the Scheduled Areas in that State and the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas.

PART B

ADMINISTRATION AND CONTROL OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES

4. Tribes Advisory Council.—(1) There shall be established in each State having Scheduled Areas therein and, if the President so directs, also in any State having Scheduled Tribes but not Scheduled Areas therein, a Tribes Advisory Council consisting of not more than twenty members of whom, as nearly as may be, three-fourths shall be the representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State:

Provided that if the number of representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State is less than the number of seats in the Tribes Advisory Council to be filled by such representatives, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes.

(2) It shall be the duty of the Tribes Advisory Council to advise on such matters pertaining to the welfare and advancement of the Scheduled Tribes in the State as may be referred to them by the Governor ⁶***.

(3) The Governor ⁵*** may make rules prescribing or regulating, as the case may be,—

(a) the number of members of the Council, the mode of their appointment and the appointment of the Chairman of the Council and of the officers and servants thereof;

(b) the conduct of its meetings and its procedure in general; and

(c) all other incidental matters.

¹ The words and letters “means a State specified in Part A or Part B of the First Schedule but” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

² Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71, for “State of Assam” (w.e.f. 21-1-1972).

³ Subs. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 3, for “and Meghalaya” (w.e.f. 1-4-1985).

⁴ Subs. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986) s. 39, for “Meghalaya and Tripura” (w.e.f. 20-2-1987).

⁵ The words “or Rajpramukh” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

⁶ The words “or Rajpramukh, as the case may be” omitted by s. 29 and Sch. *Ibid.*

5. अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि--(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल¹ लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपपैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

(2) राज्यपाल¹ किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है ।

विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम--

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे ;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगे ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे ।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उपपैरा (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल^{2***} संसद् के या उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा ।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल^{2***} ने जनजाति सलाहकार परिषद् वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद् से परामर्श नहीं कर लिया है ।

भाग ग

अनुसूचित क्षेत्र

6. अनुसूचित क्षेत्र--(1) इस संविधान में, “अनुसूचित क्षेत्र” पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश³ द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे ।

(2) राष्ट्रपति, किसी भी समय आदेश⁴ द्वारा--

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा ;

⁵[(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् बढ़ा सकेगा,]

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही, परिवर्तन कर सकेगा,

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर या नए राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा,

¹ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यथास्थिति, राज्यपाल या राज्यप्रमुख” शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप में रखा गया ।

² संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राज्यप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।

³ अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ. 9), अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ. 26), अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सं.आ. 102) और अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सं.आ. 109) देखिए ।

⁴ मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) आदेश, 1950 (सं.आ. 30) और आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) आदेश, 1955 (सं.आ. 50) देखिए ।

⁵ संविधान पांचवीं अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 101) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

5. Law applicable to Scheduled Areas.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor ^{1***} may by public notification direct that any particular Act of Parliament or of the Legislature of the State shall not apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State or shall apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification and

any direction given under this sub-paragraph may be given so as to have retrospective effect.

(2) The Governor ^{1***} may make regulations for the peace and good government of any area in a State which is for the time being a Scheduled Area.

In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may—

(a) prohibit or restrict the transfer of land by or among members of the Scheduled Tribes in such area;

(b) regulate the allotment of land to members of the Scheduled Tribes in such area;

(c) regulate the carrying on of business as money-lender by persons who lend money to members of the Scheduled Tribes in such area.

(3) In making any such regulation as is referred to in sub-paragraph (2) of this paragraph, the Governor ^{2***} may repeal or amend any Act of Parliament or of the Legislature of the State or any existing law which is for the time being applicable to the area in question.

(4) All regulations made under this paragraph shall be submitted forthwith to the President and, until assented to by him, shall have no effect.

(5) No regulation shall be made under this paragraph unless the Governor ^{2***} making the regulation has, in the case where there is a Tribes Advisory Council for the State, consulted such Council.

PART C

SCHEDULED AREAS

6. Scheduled Areas.—(1) In this Constitution, the expression “Scheduled Areas” means such areas as the President may by order³ declare to be Scheduled Areas.

(2) The President may at any time by order⁴—

(a) direct that the whole or any specified part of a Scheduled Area shall cease to be a Scheduled Area or a part of such an area;

(aa) increase the area of any Scheduled Area in a State after consultation with the Governor of that State;

(b) alter, but only by way of rectification of boundaries, any Scheduled Area;

(c) on any alteration of the boundaries of a State or on the admission into the Union or the establishment of a new State, declare any territory not previously included in any State to be, or to form part of, a Scheduled Area;

¹ The words “or Rajpramukh, as the case may be” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

² The words “or Rajpramukh,” omitted by s. 29 and Sch. *ibid.*

³ See the Scheduled Areas (Part A States) Order, 1950 (C.O. 9), the Scheduled Areas (Part B States) Order, 1950 (C.O.26), the Scheduled Areas (Himachal Pradesh) Order, 1975 (C.O. 102) and the Scheduled Areas (States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977 (C.O. 109).

⁴ See the Madras Scheduled Areas (Cessor) Order, 1950 (C.O. 30) and the Andhra Scheduled Areas (Cessor) Order, 1955 (C.O. 50).

⁵[(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा,]

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चात्पूर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

भाग घ

अनुसूची का संशोधन

7. **अनुसूची का संशोधन**--(1) संसद्, समय-समय पर विधि द्वारा, इस अनुसूची के उपबंधों में से किसी का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में, संशोधन कर सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है ।

(2) ऐसी कोई विधि, जो इस पैरा के उपपैरा (1) में उल्लिखित है, इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।

¹[(d) rescind, in relation to any State or States, any order or orders made under this paragraph, and in consultation with the Governor of the State concerned, make fresh orders redefining the areas which are to be Scheduled Areas;

and any such order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper, but save as aforesaid, the order made under sub-paragraph (1) of this paragraph shall not be varied by any subsequent order.

PART D

AMENDMENT OF THE SCHEDULE

7. Amendment of the Schedule.—(1) Parliament may from time to time by law amend by way of addition, variation or repeal any of the provisions of this Schedule and, when the Schedule is so amended, any reference to this Schedule in this Constitution shall be construed as a reference to such Schedule as so amended.

(2) No such law as is mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

¹ Ins. by the First Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1976 (101 of 1976), s. 2.